न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः—529/2020 (GCMS No. 2020/00553) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

कप्तानसिंह पुत्र मलखानसिंह जाति वघेला निवासी दलेल का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (राज.) (फौत)

1/1 हीरासिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति वघेला निवासी दलेल का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (राज.)

.....अपीलांट

बनाम

1. जिला कलक्टर धौलपुर।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जारह जरिये प्रधानाध्यापक।

.....रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 25.02.2020 बावत् आराजी खसरा नम्बर 1248 बांके ग्राम जारह तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (राज.)

उपस्थितिः—

1. अपीलांट की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे, श्री रामअवतार गौड, श्री दिनेश कुमार गौड, वकील।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय पैरोकार।

निर्णय दिनांक : 07.12.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 25.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवंटन आदेश में वर्णित आवंटित आराजी अपीलांट के उपयोग/उपभोग की आराजी है जिसपर अपीलांट का काफी लम्बे समय से कब्जा है। उक्त आराजी अपीलांट की दीगर आराजी के मध्य स्थित है। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपीलांट का पुराना कब्जा मानते हुये तथा जमीन को नियमन योग्य मानते हुये अपीलांट के हक में नियमन किये जाने की सिफारिश करते हुये

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के समक्ष दिनांक 20.10.2015 को आदेश पारित किया परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में आवंटन हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट में उपरोक्त आवंटित शुदा भूमि को किसी के कब्जे में नहीं होना बताया है तथा पूर्ण रूप से विवाद रहित होना बताया है जबकि अपीलांट आवंटितशुदा आराजी के नियमन की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के समक्ष विचाराधीन है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट को अनुचित रूप से नुकसान पहुँचाने की नियत से तथ्यों को छुपाकर असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2020 पारित करवाया गया है। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रधानाध्यापक राज.उ.प्रा.वि. जारह उपस्थित।
3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट के हक में विवादित आराजी की नियमन हेतु पत्रावली उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के यहॉ विचाराधीन होते हुये आवंटन आदेश पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा रेस्पो. संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पूर्णरूप से भ्रामक एवं असत्य है तथा तथ्यों के विपरीत है। वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर पारित आवंटन आदेश बावत् आराजी ख.नं. 1248 बांके ग्राम जारह रकवा 1 बीघा 07 विस्वा अपने आप में शून्य होने से खारिज योग्य है। रेस्पो. संख्या 2 द्वारा रेस्पो. सं. 1 को धोखे में रखकर गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन आदेश पारित कराया है। प्रस्तावित भूमि को मौके पर खाली बताया गया है यदि भूमि खाली है तो हमारे खिलाफ 91 एल. आर.एक्ट की रिपोर्ट कैसे की जा रही है। हम हमेशा से कब्जे में चले आ रहे हैं। किसी का अतिक्रमण नहीं है। 91 एल.आर.एक्ट के तहत हमें अतिक्रमी मानते है। हम काफी लम्बे समय से काबिज हैं तथा हमें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। उक्त भूमि के ऊपर से पहले से ही 2 हाईटेंशन लाईन जा रही हैं। विद्यालय से प्रस्तावित भूमि 1.5 किलोमीटर दूर बताई है। बच्चों की सुविधा को देखा जायेगा और विद्यालय के छोटे–छोटे बच्चे होते हैं जो 1.5 किमी दूर कहाँ जायेंगे। आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार से सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का किसी प्रकार भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और न ही इस तथ्य की कोई जॉच पडताल की गई कि आवंटित आराजी पर विद्यालय खेल मैदान हेतु उपयुक्त है या नहीं। विवादित आराजी के लगते हुए गैर मुमकिन पोखर है। पोखर में पानी भरेगा तो खेल मैदान में भी तो भरेगा ही। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

करने से पूर्व किसी भी आवंटन शर्त को पूरा नहीं किया और न ही जॉच पडताल की है कि आवंटित शुदा भूमि पर किसी का कब्जा है या नहीं जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्व में ही अपीलांट को उपरोक्त आराजी पर आवंटन का पात्र मान लिया है तो उक्त आराजी आवंटन काबिल कहां रही है। दिनांक 20.10.2015 को हमारे हक में नियमन की सिफारिश तहसीलदार राजाखेडा द्वारा की जा चुकी है। हमारे आवंटन की ओर ध्यान दिया नहीं और रेस्पो. सं. 2 को आवंटन कर दिया। जब तक उपखण्ड अधिकारी के यहॉ पत्रावली विचाराधीन है तब तक यह भूमि किसी को आवंटित नहीं की जा सकती है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से जमाबन्दी कर नकल लेने पर दिनांक 06.07.2020 को हुई। तत्पश्चात अपीलांट ने दिनांक 07.07.2020 को धौलपुर आकर आवंटन आदेश के बारे में मालूम किया उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 10.07.2020 को प्राप्त होने पर अपील बिना देरी के रूपये पैसों का इंतजाम कर अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी। ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे तथा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 25.02.2020 बहक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जारह तहसील राजाखेडा बावत् आराजी ख.नं. 1248 रकवा 1 बीघा 07 विस्वा बांके ग्राम जारह निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांटस द्वारा यह अपील मियाद बाहर पेश की जो संधारणीय नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही अपीलाधीन भूमि राजकीय थी और अपीलांट का कब्जा था तो उसे बेदखल किया गया था तभी भूमि अनधिवासित हुई। अपीलांट को भूमि विनियमित हुई भी नहीं थी और केवल सिफारिश के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर किसी भी आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के

समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1248 रकवा 1.07 बीघा किस्म बंजड दोयम वांके ग्राम जारह तहसील राजाखेडा का आवंटन जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा दिनांक 25.02.2020 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जारह के खेल मैदान हेतु आवंटित किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व किसी आवंटन शर्त को पूरा नहीं किया गया और न ही कब्जे की जॉच की गई तथा अपीलांट को पूर्व में ही आवंटन का पात्र मान लिया है तो आवंटितशुदा भूमि आवंटन के काबिल कहां रही। दिनांक 20.10.2015 को हमारे हक में नियमन की सिफारिश तहसीलदार राजाखेडा द्वारा की जा चुकी है। हमारे आवंटन की ओर ध्यान दिया नहीं और रेस्पो. सं. 2 को आवंटन कर दिया। जब तक उपखण्ड अधिकारी के यहॉ पत्रावली विचाराधीन है तब तक यह भूमि किसी को आवंटित नहीं की जा सकती है। वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होने के कथन की पुष्टि में कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि दिनांक 25.02.2020 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है। क्योंकि वरवक्त आवंटित भूमि की किस्म बंजड दोयम दर्ज है। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पटवारी हल्का सदापुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है "कि उक्त खसरा नम्बर 1248 में से रा.उ.प्रा.वि. जारह के खैल मैदान के लिए रकवा 1.07 बीघा भूमि मौके पर खाली है तथा जल भराव की स्थिति नहीं है और न कोई अतिक्रमण है। उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तथा बिजली की हाईटेंशन लाईन नहीं है और स्कूल से लगभग 1.5 किमी दूर है। प्रस्तावित भूमि किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।" जमाबंदी संवत् 2070 लगा. 2073 में उक्त भूमि खाता मिल्कियत सरकार दर्ज है। जिला कलक्टर धौलपुर को प्रेषित चैकलिस्ट में भी उक्त भूमि पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं होना पाया जाता है। साथ ही विनियमन की सिफारिश भी अपीलांट को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। राजकीय भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण के आधार पर ऐसे आवंटन को खारिज कराने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम आवंटन आदेश दिनांक 25.02.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने को कोई औचित्य नहीं समझते हैं। इस प्रकार अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

8. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 25.02.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर